एकादश अति0 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर, छ0ग0
(पीठासीन अधिकारी – विजेन्द्र सोनवानी)

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्र. 2148/2024
संस्थित दिनांक – 04.11.2024

1. सरिता साहू, पति स्व० राजेश साहू, उम्र 28 वर्ष,
2. हर्षिता साहू, पिता स्व० राजेश साहू, उम्र 07 वर्ष,
3. हर्ष साहू, पिता स्व० राजेश साहू, उम्र 05 वर्ष,
4. कुशल साहू, पिता स्व० धनीराम साहू, उम्र 64 वर्ष,

आवेदकगण क्र 01 एवं 02 नाबा० की ओर से वली मां
सरिता साहू, पति स्व० राजेश साहू, उम्र 28 वर्ष,
निवासी ग्राम काठाकोनी, थाना सकरी, जिला बिलासपुर
आवेदक क्र 04 निवासी – ग्राम मोपका, थाना सरकंडा,
जिला बिलासपुर छ०ग० ....**आवेदकगण**

– विरूद्ध –

1. अमन मसीह, पिता निलेश मसीह, उम्र 20 वर्ष,
निवासी – 07/1304 जतिया तालाब मार्ग,
गुंजा प्रोव्हीजन स्टोर्स के पास, थाना सिविल लाईन,
जिला बिलासपुर छ०ग०
(वाहन चालक– वाहन कार क्र० CG-10-BM-5221)
2. अपर्णा मसीह, पति निलेश मसीह, उम्र 54 वर्ष,
निवासी – 07/1304 जतिया तालाब मार्ग,
गुंजा प्रोव्हीजन स्टोर्स के पास, थाना सिविल लाईन,
जिला बिलासपुर छ०ग०
(वाहन स्वामी– वाहन कार क्र० CG-10-BM-5221)

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
पता – अग्रवाल चेम्बर्स्, प्रथम मंजिल, व्यापार विहार रोड,
थाना तारबहार, जिला बिलासपुर छ०ग०
(बीमाकर्ता – वाहन कार क्र० CG-10-BM-5221)

.................**अनावेदकगण**

आवेदकगण द्वारा श्री अश्वनी कुमार साहू अधिवक्ता ।
अनावेदक क्र.1 एवं 2 द्वारा श्री विनोद राजपूत अधिवक्ता ।
अनावेदक क्र. 3 द्वारा श्री बी पी मजूमदार अधिवक्ता ।

– अधिनिर्णय –

(आज दिनांक 12/08/2026 को पारित)

1. आवेदकगण द्वारा धारा- 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत **वाहन कार क्र० CG-10-BM-5221 (जिसे एतदपश्चात् प्रश्नगत वाहन उल्लेखित किया जावेगा)** की दुर्घटना में राजेश साहू की मृत्यु होने से अनावेदकगण के विरूद्ध 41,60,000/-रू. (इकतालिस लाख साठ हजार रूपये) की क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है ।

3. आवेदकगण के आवेदन का सार यह है कि मृतक राजेश साहू घटना दिनांक 04/08/2024 को ग्राम काठाकोनी से अपनी मोटर सायकल क्र० CG-10-NA-9232 से सुबह लगभग 09 बजे अपने पुराना गांव ग्राम मोपका अपने रिश्तेदार के दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने आया । करीब 04.30 बजे वह ग्राम मोपका से काठाकोनी अपने घर जाने के लिए निकला था एवं अपनी मो०सा० क्र० CG-10-NA-9232 को सामान्य गति से चलाते हुए जा रहा था एवं सरन सायकल एवं जिम इक्यूपमेंट दुकान के आगे सरकंडा डिवाईडर को पार

करने वाली जगह पर पहुंचा था कि उसी समय मारूती अर्टिगा कार क्र० CG-10-BM-5221 के चालक द्वारा अपने वाहन को किसी प्रकार का कोई संकेत अथवा इंडिकेटर जलाये बिना तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड को पार करने का प्रयास किया जिससे राजेश साहू का मोटर सायकल सहित कार से टकराकर एक्सीडेंट हो गया जिससे उसके पैर, सिर, चेहरा, कमर सहित शरीर के अन्य भागों पर गंभीर एवं संघातक चोट आई जिसे ईलाज हेतु सिम्स बिलासपुर में भर्ती किया गया जहां उपचार के दौरान दिनांक 05.08.2024 को 02.45 बजे सुबह उसकी मृत्यु हो गई । दुर्घटना की रिपोर्ट थाना सरकंडा, बिलासपुर में की गई थी तथा जांच करने पर अनावेदक क्र 01 के विरूद्ध अपराध क्र 889/2024 दर्ज कर दुर्घटना कारित होना सबूत पाये जाने से उसके विरूद्ध धारा 106 भा०न्या०सं० एवं 119/117 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया । दुर्घटना के समय मृतक 35 वर्षीय होकर नगरपालिका सकरी में स्थित गुरूदेव ट्रेडर्स में कार्य कर लगभग 15,000/- रु. की मासिक आय अर्जित करता था । अतः आवेदकगण ने समस्त मदों में अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति के रूप में **41,60,000/-रू. (इकतालिस लाख साठ हजार रूपये)** दिलाए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया है।

4. <u>अनावेदक क्र. 01 एवं 02 की ओर से आवेदन के तथ्यों के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त अन्य शेष कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है कि,</u> अनावेदक क्र 01 द्वारा चालित वाहन एवं अनावेदक क्र 02 के स्वामित्व की वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है । मृतक राजेश साहू शराब के नशे में बिना वैध एवं प्रभावशील लायसेंस के अपने वाहन का चालन कर रहा था जिससे उसके वाहन की गति तेज होने से वह अनियंत्रित होकर प्रश्नाधीन दुर्घटनास्थल में स्वयं की लापरवाही के कारण स्वयं किसी अज्ञात वाहन से टकराने से उसे उपहति कारित हुई । आवेदकगण द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन

से बचने के लिए झूठा दावा प्रस्तुत किया है । प्रश्नाधीन वाहन क्र CG-10-BM-5221 अनावेदक क्र 03 बीमा कंपनी के पास विधिवत बीमित है तथा वाहन उक्त अवधि में बीमा कंपनी के संपूर्ण दायित्वों के अधीन है जिससे आवेदकगण के किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु अनावेदक क्र 01 एवं 02 उत्तरदायी नहीं है ।

5. अनावेदक क्र. 3 की ओर से आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है कि मृतक राजेश साहू अपने वाहन का चालन बिना वैध एवं प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञप्ति के मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन में लोक मार्ग पर हेलमेट पहने बिना कर रहा था एवं अचानक डिवाईडर देखकर ब्रेक मारने से मोटर सायकल फिसलकर डिवाईडर क्रास कर रहे मोटर कार से टकराया और दुर्घटना कारित हुआ जिसमें मृतक के स्वयं की लापरवाही है । अनावेदक क्र 02 द्वारा जानबूझकर अनावेदक क्र 01 के पास उक्त श्रेणी के वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं होने पर भी उसे लोक मार्ग पर वाहन चलाने की अनुमति देकर पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है । दुर्घटना के पश्चात संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में दुर्घटना की सूचना या दस्तावेज बीमा कंपनी को उपलब्ध नहीं कराया है । अतः अनावेदक क्र 3 बीमा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का दावा सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6. उभयपक्ष के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है, जिनके समक्ष निष्कर्ष निम्नानुसार अंकित हैः-

क्र0	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1-	क्या दिनांक 04.08.2024 समय करीबन 4.30 से 05.00 बजे के बीच स्थान सरन सायकल स्टोर एवं इक्विपमेंट दुकान के आगे, सरकंडा मेन रोड के पास, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर में मारूति	**''प्रमाणित हाँ''**

	सुजूकी अर्टिगा कार क्र० CG-04-BM-5221 को उसके चालक द्वारा बिना किसी संकेत या इंडिकेटर जलाये बिना अपने कार को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड को पार करने का प्रयास किया जिससे मृतक राजेश साहू मोटर सायकल सहित कार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई?	
2-	क्या अनावेदक चालक/स्वामी द्वारा उक्त दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन को बीमा पालिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया/चलवाया जा रहा था? यदि हां तो प्रभाव ?	**''प्रमाणित नहीं''**
3-	क्या प्रकरण में अंशदायी उपेक्षा का सिद्धांत आकृष्ट होता है? यदि हां तो प्रभाव?	**''प्रमाणित नहीं''**
4-	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्तः एवं पृथकतः मृतक की मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं?	**''अधिनिर्णय की ''कंडिका- 27" के अनुसार''**
5-	सहायता एवं व्यय ?	**''अधिनिर्णय की ''कंडिका- 28" के अनुसार दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।''**

- विवेचना एवं निष्कर्ष -

- वाद प्रश्न क्रमांक- 01 पर निष्कर्ष -

7. वादप्रश्न क्र.1 को सिद्ध करने का भार आवेदकगण पर है। आवेदिका **सरिता साहू (अ०सा०-01)** के द्वारा अपने न्यायालयीन शपथ पत्रीय साक्ष्य में दावे के

अनुरूप ही अभिकथन किया गया है। आवेदिका का कथन है कि मृतक राजेश साहू घटना दिनांक 04/08/2024 को ग्राम काठाकोनी से अपनी मोटर सायकल क्र० CG-10-NA-9232 से सुबह लगभग 09 बजे अपने पुराना गांव ग्राम मोपका अपने रिश्तेदार के दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने आया । करीब 04.30 बजे वह ग्राम मोपका से काठाकोनी अपने घर जाने के लिए निकला था एवं अपनी मो०सा० क्र० CG-10-NA-9232 को सामान्य गति से चलाते हुए जा रहा था एवं सरन सायकल एवं जिम इक्यूपमेंट दुकान के आगे सरकंडा डिवाईडर को पार करने वाली जगह पर पहुंचा था कि उसी समय मारूती अर्टिगा कार क्र० CG-10-BM-5221 के चालक द्वारा अपने वाहन को किसी प्रकार का कोई संकेत अथवा इंडिकेटर जलाये बिना तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड को पार करने का प्रयास किया जिससे राजेश साहू का मोटर सायकल सहित कार से टकराकर एक्सीडेंट हो गया जिससे उसके पैर, सिर, चेहरा, कमर सहित शरीर के अन्य भागों पर गंभीर एवं संघातक चोट आई जिसे ईलाज हेतु सिम्स बिलासपुर में भर्ती किया गया जहां उपचार के दौरान दिनांक 05.08.2024 को 02.45 बजे सुबह उसकी मुत्यु हो गई । दुर्घटना की रिपोर्ट थाना सरकंडा, बिलासपुर में की गई थी तथा जांच करने पर अनावेदक क्र 01 के विरूद्ध अपराध क्र 889/2024 दर्ज कर दुर्घटना कारित होना सबूत पाये जाने से उसके विरूद्ध धारा 106 भा०न्या०सं० एवं 119/117 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

8. आवेदिका सरिता साहू **(अ०सा०-01)** ने अपने दावा आवेदन के समर्थन में थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर के अपराध क्रमांक 889/2024 धारा 106 बीएनएस से प्राप्त सत्यापित प्रति जिसमें अंतिम प्रतिवेदन **प्र.पी.-1**, प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.पी.-2**, मर्ग इंटीमेशन **प्र.पी.-3**, नक्शा पंचायतनामा **प्र.पी.-4**, शव परीक्षा का आवेदन एवं रिपोर्ट **प्र.पी.-5**, संपत्ति जप्ती पत्रक **प्र.पी.-6**, गिरफ्तारी

पत्रक **प्र.पी.–7**, वाहन मालिक एवं चालक प्रमाण पत्र **प्र.पी.–8**, ओम गुरूदेवा ट्रेडर्स के द्वारा मृतक को मजदूरी वेतन भुगतान विवरण **प्र.पी.–9** एवं दावाकृत वाहन का आर.सी., बीमा पॉलीस, ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति पेश किया गया है।

9. प्रतिपरीक्षण में आवेदिका ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा है । साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके पति के पास मोटर सायकल चलाने का ड्रायविंग लायसेंस नहीं था और दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना उसकी स्वयं की लापरवाही से हुई है । साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके पति मृतक राजेश साहू कोई कार्य नहीं करते थे । साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने प्रकरण में प्र०पी०–09 का दस्तावेज आय के संबंध में पेश किया है स्वतः कहा कि दावा के उद्देश्य से पेश किया है । साक्षी ने अस्वीकार किया है कि प्र०पी०–09 का दस्तावेज असत्य दस्तावेज है । साक्षी ने अस्वीकार किया है कि उसने उसके पति द्वारा चालित मोटर सायकल के बीमा कंपनी से पृथक से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर ली है इसलिए उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, दुर्घटना के संबंध में आवेदिका के कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे है । प्रतिपरीक्षण में आए हुए गौण प्रकृति के विरोधाभास से घटना संबंधी मुख्य कथन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है तथा आवेदक के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है ।

10. न्याय दृष्टांत **राजस्थान स्टेट आफ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन विरूद्ध नंद किशोर 2002(1) दु0 मु0 प्र 0 366** में अभिनिर्धारित किया गया है कि, ***मोटर दुर्घटना से संबंधित होने वाले मामलों में प्रतिकर के निर्धारण करते समय संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिये तथा उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस अथवा चिकित्सक द्वारा यदि कोई दस्तावेज पदीय कर्तव्य के निर्वहन में तैयार की गई हो***

तो जब तक मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से उसका खण्डन नहीं कर दिया जावे, उन्हे बिना किसी सबूत के साक्ष्य में स्वीकार किया जाना चाहिये।

11. इस प्रकरण में साक्ष्य के स्तर पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों को अनावेदकगण द्वारा कोई तात्विक रूप से चुनौती नहीं दी गई है। साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के हितकारी विधायन स्वरूप को देखते हुये आहत के हितों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **विमला देवी व अन्य विरूद्ध हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन व अन्य 2009 (3) ए.सी.जे. पेज-1725** में यह अवधारित किया गया है कि ***दावा प्रकरण के मामलो में दुर्घटना प्रमाणित करते हुये आवेदकगण द्वारा कठोर प्रमाण देना संभव नहीं होता है। आवेदकगण का उनका मामले में मात्र अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करना होता है, युक्तियुक्त संदेह से परे मामला प्रमाणित करने का मानक प्रयोज्य नहीं किया जा सकता।*** इस प्रकार यह सिद्ध पाया जाता है कि आवेदकगण से दुर्घटना के बिन्दु पर कड़े सबूतों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, संभावनाओं की प्रचुरता दर्शाना ही पर्याप्त है।

12. प्रकरण में दोषी वाहन का चालक अनावेदक क्रमांक-01 दुर्घटना के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था, किन्तु उसने स्वयं को न्यायालय में पेश करते हुये अपना परीक्षण नहीं करवाया है। इस संबंध में माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **शिवकुमार एवं अन्य विरूद्ध मलेश राम एवं अन्य 2006 (3) छ०ग० लॉ जजमेंट (सप्लीमेंट्री) छ०ग० 330** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ***वाहन का चालक साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं हुआ, तो भी प्रथम सूचना पत्र के अनुसार दुर्घटना ग्रस्त मोटर यान के चालक के विरूद्ध तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के कारण दुर्घटना घटित होना उल्लेखित है, तो यह माना जाएगा कि चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से ही दुर्घटना घटित हुई है।*** इसी प्रकार का मत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **न्यू इंडिया**

इंश्योरेंसकंपनी लिमिटेड विरुद्ध राजपाल एवं अन्य 2013 (4) ए0सी0सी0डी0 2077 (दिल्ली) में भी व्यक्त किया है। ऐसी दशा में उपधारणा अनावेदक क्रमांक-01 के विपरीत बनती है ।

13. आवेदकगण की ओर से अनावेदक क्रमांक-01 के विरूद्ध चालानी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज जो प्रस्तुत किये गये हैं उनके खंडन में अनावेदकगण के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अपने वाहन कार क्र० CG-04-BM-5221 को बिना किसी संकेत या इंडिकेटर जलाये बिना तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड को पार करने का प्रयास किया जिससे मृतक राजेश साहू मोटर सायकल सहित कार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई थी। तदनुसार वादप्रश्न क्रमांक-01 का निष्कर्ष-''**प्रमाणित हाँ**''- में दिया जाता है।

- वाद प्रश्न क्रमांक- 02 पर निष्कर्ष -

14. यह वादप्रश्न अनावेदक क्रमांक-03 बीमा कंपनी के अभिवचन के आधार पर विरचित होने से इस वाद प्रश्न का प्रमाण भार अनावेदक क्रमांक-03 पर है। अनावेदक क्रमांक-03 बीमा कम्पनी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरी ओर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित है कि थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ०ग० के अपराध क्रमांक 889/2024 अंतर्गत धारा 106 बीएनएस एवं 119/177 मोटर व्हीकल एक्ट में संलग्न जप्ती पत्रक प्र०पी० 06 के अवलोकन से दर्शित है कि घटनास्थल से दोषी वाहन तथा वाहन की आर०सी०बुक, बीमा पॉलिसी जिसका म्याद दिनांक 04.04.2024 से 03.04.2025 तक लिखा है। दोषी वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र, आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस जो दिनांक 27.11.2037 तक है, को जप्त किया गया है । उपरोक्त दस्तावेज घटना दिनांक 04.08.2024 को वैध एवं प्रभावशील थे। ऐसी

स्थिति में घटना दिनांक को दोषी वाहन का परिचालन बीमा शर्तों के उल्लंघन में किया गया रहा हो यह तथ्य अनावेदक क्रमांक-03 बीमा कंपनी की ओर से विधिवत प्रमाणित नहीं किया जा सका है। फलस्वरूप वादप्रश्न क्रमांक-02 का निष्कर्ष **''प्रमाणित नहीं''** में दिया जाता है।

- वाद प्रश्न क्रमांक- 03 पर निष्कर्ष -

15. **योगदायी उपेक्षा** को सिद्ध करने का भार अनावेदक बीमा कंपनी पर है। माननीय न्याय दृष्टांत **ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध श्रीमती सीमा खाण्डे व अन्य 2015 (2) दु0 मु0 प्र0 211(छ0ग0)** एवं **नीलिमा वर्मा व एक अन्य विरूद्ध दिलेश्वर केंवट व अन्य 2015(2) दु0 मु0 प्र0 433 (छ0ग0)** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार ***''यदि बीमा कंपनी द्वारा पीड़ित की ओर से योगदायी उपेक्षा का अभिवाक करने पर उसके संबंध में साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए और जब-तक कंपनी द्वारा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है, योगदायी उपेक्षा संबंधी कंपनी का अभिवाक सफल नहीं हो सकता।''*** **इसके अतिरिक्त माननीय न्याय दृष्टांत- न्यू इंडिया बीमा कंपनी विरूद्ध पधानियम्ल 2012 (1) एस0 सी0 सी0 डी0 192 (केरल)** में यह अवधारित किया गया है कि पुलिस का आरोप पर धारा-166 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत दावे के प्रयोजनार्थ उपेक्षा का प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है, जिसके खण्डन का भार विपक्षी पक्षकार का होता है। उक्त तथ्य के संबंध में प्रकरण में अनावेदक क्र. 01 एवं 02 ने स्वयं का परीक्षण नहीं कराया है और न ही अनावेदक क्र. 03 बीमा कम्पनी की ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत वाहन के चालक एवं स्वामी अनावेदक क्र. 01 एवं 02 चाहते तो उक्त संबंध में स्वयं का परीक्षण न्यायालय में करा सकते थे उनके द्वारा प्रकरण में न तो लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है और न ही स्वयं का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, इससे अनावेदक क्र. 01 के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा किए जाने को बल प्राप्त होता है। अनावेदक बीमा कंपनी के जवाबदावा में किए गए अभिवचन अनुसार वर्तमान

प्रकरण में दुर्घटना में मृतक की भी लापरवाही हो ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे यह दर्शित हो कि उपरोक्त घटना में बीमा कंपनी के अभिवचन के अनुसार दुर्घटना के संबंध में मृतक के विरूद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध किया गया हो एवं मृतक की दुर्घटना में योगदायी उपेक्षा हो। आवेदिका सरिता साहू (अ०सा०-01) के द्वारा अपने न्यायालयीन साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया गया है कि उसके पति के पास वाहन चलाने का ड्रायविंग लायसेंस नहीं था। मृतक की लापरवाही संबंधी तथ्य को अनावेदक क्र 03 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में उक्त तर्क का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता । जवाबदावा में मात्र योगदायी उपेक्षा का अभिवाक् लेने से उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं हो जाता है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच व अन्वेषण किए जाने के उपरांत ही प्रकरण में प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्र. 01 के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया है । घटना के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी. 02 से उक्त दुर्घटना के कारित होने की पुष्टि होती है । उक्त दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्र.01 को अभियोजित किया गया है । अंतिम प्रतिवेदन प्र०पी०-01 के अवलोकन से यह दर्शित है कि अनावेदक क्र 01 अमन मसीह के विरूद्ध धारा 106 बीएनएस एवं धारा 119/177 मोटरयान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है । उक्त दस्तावेजों के खंड में अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से कोई स्वीकार योग्य दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि, दुर्घटना में मृतक की भी कोई योगदायी उपेक्षा थी । इन समस्त परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन कार क्र० CG-04-BM-5221 के चालक अनावेदक क्र 01 द्वारा उक्त वाहन को बिना किसी संकेत या इंडिकेटर जलाये बिना तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड पार करने का प्रयास किया जिससे मृतक राजेश साहू मोटर सायकल सहित कार से

टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई। तदानुसार **वाद प्रश्न क्र.** 03 का निष्कर्ष ''**प्रमाणित नहीं**'' में दिया जाता है।

<u>– वाद प्रश्न क्रमांक– 04 पर निष्कर्ष –</u>

16. इस वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार आवेदकगण पर है। आवेदिका **सरिता साहू (आ०सा० 01)** ने अपने आवेदन में एवं अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में यह अभिवचन किया है कि, मृतक नगरपालिका सकरी में स्थित गुरूदेव ट्रेडर्स में कार्य कर प्रतिमाह 15,000/–रु. की आय अर्जित करता था । आवेदिका द्वारा मृतक की आय 500/– रूपये प्रतिदिन अर्थात लगभग 15,000/– रूपये प्रतिमाह होना दर्शित करने हेतु प्र०पी०–09 के रूप में गुरुदेव ट्रेडर्स के प्रोपराइटर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रमाण–पत्र में मृतक के उक्त प्रतिष्ठान में लगभग 01 वर्ष 06 माह से कार्यरत होने तथा उसे ₹500/– प्रतिदिन नगद भुगतान किया जाना लेखबद्ध है। तथापि, उक्त प्रमाण–पत्र के समर्थन में मृतक को किए गए भुगतान संबंधी कोई वेतन–पंजी, उपस्थिति–पंजी, भुगतान रसीद, बैंक अभिलेख, लेखा–बही, आयकर विवरणी अथवा अन्य स्वतंत्र एवं विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रमाण–पत्र में उल्लिखित 500/– रूपये प्रतिदिन की आय का वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन हो सके। अतः मात्र उक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर मृतक की आय 500/– रूपये प्रतिदिन अथवा 15,000/– रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि मृतक की आय के संबंध में पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध न होने की स्थिति में केवल अनुमानित एवं असंगत आय को स्वीकार कर प्रतिकर निर्धारित नहीं किया जा सकता तथा न्यायाधिकरण को उपलब्ध सामग्री के आधार पर उचित एवं युक्तिसंगत आय निर्धारित करनी होती है। आवेदकगण मृतक के कार्य एवं आय के परिप्रेक्ष्य में विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत

करने में असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में **नोशनल इनकम (काल्पनिक आय)** के आधार पर आवेदकगण को मुआवजा राशि दिलाये जाने के संबंध में विचार किया जाना होगा। इस संबंध में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने न्याय दृष्टांत **गोविन्द यादव विरूद्ध न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, सिविल अपील क्रमांक 9014/2011** के मामले में दिनांक 01.12.2011 को पारित निर्णय में यह अवधारित किया है कि ***विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में मुआवजा निर्धारण हेतु न्यूनतम वार्षिक आमदनी की गणना , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन समय – समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को आधार मानकर की जानी चाहिये । इस प्रकार न्यूनतम वार्षिक आमदनी की गणना को समय–सापेक्ष बनाकर तर्क सम्मत आधार प्रदान किया जाना है । स्पष्ट है कि अब मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन दुर्घटना दावा के प्रकरण में उचित मुआवजा निर्धारण हेतु घटना दिनांक को प्रभावशील न्यूनतम मजदूरी की दर से कम राशि को विचार नहीं लिया जा सकता । भले ही मृतक की वास्तविक आमदनी ऐसे मजदूरी से कम क्यों न हो।***

17. अतः न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार आय का निर्धारण करना उचित होगा और दस्तावेजों के अभाव में मृतक राजेश साहू को अकुशल श्रमिक होना माना जा सकता है। अतः घटना दिनांक 04/08/2024 के परिप्रेक्ष्य में श्रमायुक्त एवं सक्षम अधिकारी, **छ0ग0 राज्य द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948** के अंतर्गत **अनुसूची "ख "एवं "ग"** में अकुशल व्यक्ति की न्यूनतम आय **जोन ''स'' में 10,380/– रु.** अवधि में तय किया गया है। अतः मृतक की मासिक आय **10,380/– रू.** एवं वार्षिक आय **10,380x12= 1,24,560/–** रू. निर्धारित होकर मान्य की जाती है।

18. **अब यह विचार किया जाना है कि क्या आवेदकगण अपने भरण–पोषण हेतु मृतक की आय पर आश्रित थे।** आवेदक क्र.01 मृतक की पत्नी है तथा आवेदक क्र.02 एवं 03 मृतक के नाबालिग पुत्र एवं पुत्री हैं। वहीं आवेदक क्र.04 मृतक के

पिता हैं। उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्वाभाविक रूप से प्रतीत होता है कि मृतक अपने परिवार के भरण-पोषण में आर्थिक सहयोग प्रदान करता था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात आवेदकगण को उसकी आय से होने वाले आर्थिक सहयोग से वंचित होना पड़ा है। विशेषतः आवेदक क्र.02 एवं 03 के नाबालिग होने तथा आवेदक क्र.01 के मृतक की पत्नी होने के कारण उनकी मृतक पर आर्थिक निर्भरता स्वीकार किया जाना उचित है। इसी प्रकार आवेदक क्र.04 मृतक के पिता हैं तथा अभिलेख पर ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्थापित हो कि वे मृतक से स्वतंत्र एवं पर्याप्त आय प्राप्त करते थे। अतः प्रकरण की परिस्थितियों में आवेदक क्र.04 की भी मृतक पर आर्थिक निर्भरता मानना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में यह अवधारित किया जाता है कि **आवेदक क्र 01 से 04 क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।**

19. **अब प्रकरण में यह देखा जाना है कि मृतक की घटना दिनांक को वास्तविक आयु कितनी थी?** आवेदिका **सरिता साहू (आ०सा० 1)** ने अपने पति की आयु आवेदन पत्र एवं अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में 35 वर्ष दर्शित किया है। आवेदकगण की ओर से मृतक की उम्र के संबंध में आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसकी जन्म तिथि 01/01/1989 उल्लेखित है । मृतक के उम्र के निर्धारण के संबंध में माननीय न्यायदृष्टान्त- **"बृजलाल यादव बनाम होरीलाल साहू, एस.एन. 151, 2010 (1) सी.जी.एल.जे."** अवलोकनीय है, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, मृत्यु दावा मामलों में मृतक की उम्र प्रमाणित न होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शित मृत्यु एवं उसके कारण को मृत्यु प्रमाण पत्र के रुप में मान्य किया जाना चाहिए । अतः मृतक की उम्र का निर्धारण प्रकरण में संलग्न चिकित्सीय दस्तावेज के आधार पर किया जाना उचित होगा। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०-05 की सत्यापित

प्रतिलिपि में मृतक की उम्र 40 वर्ष होना दर्शित है । अतः उक्त दस्तावेज के आधार पर घटना के समय मृतक की आयु **40 वर्ष** होना मान्य किया जाता है।

20. मृतक की मृत्यु के समय वास्तविक आय पर **नेशनल इंश्योरेस कंपनी वि. प्रणय सेठी और अन्य ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157** में माननीय उच्चतम न्यायालय की कान्स्टीट्यूशन बैंच द्वारा निर्धारित विर्निदिष्ट विधि के अनुसार स्वरोजगार/मजदूर/नियत वेतन प्राप्तकर्ता वर्ग के लोगों के लिये जिनकी उम्र **40–50 वर्ष** के बीच की है, उनके भविष्य की संभावनाओं के लिये **25 प्रतिशत वृद्धि** अनुमानित की गई है। चूंकि मृतक की आयु 40 वर्ष थी, अतः उसकी भविष्य की संभावनाओं के लिये **25 प्रतिशत वृद्धि** अनुमानित की जाती है। इस तरह से मृतक की वार्षिक आय **1,24,560**/–रुपये (एक लाख चौबीस हजार पांच सौ साठ रूपये) वार्षिक वास्तविक आय मानते हुये उस पर **25 प्रतिशत** की वृद्धि **31,140**/–रूपये, (इकत्तिस हजार एक सौ चालिस रूपये), इस तरह से **1,24,560** + **31,140** = **1,55,700**/–रूपये (एक लाख पचपन हजार सात सौ रूपये) वार्षिक आय अनुमानित की जाती है।

21. न्यायदृष्टान्त **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वि. प्रणय सेठी और अन्य ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157** में माननीय उच्चतम न्यायालय की कांस्टीट्यूशन बैच द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट विधि अनुसार एवं न्याय दृष्टांत **श्रीमती सरला वर्मा प्रति डी.टी.सी.–2009 (6) एस.सी.सी.–121** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आश्रितता के निर्धारण अनुसार निजी व्यय के संबंध में विनिर्दिष्ट विधि को अंगीकार किया गया है। इस प्रकरण में मृतक की पत्नी आवेदक क्र 01 एवं मृतक का अवयस्क पुत्र एवं पुत्री क्रमशः आवेदक क्र 02 एवं 03 एवं मृतक के पिता आवेदक क्रमांक 04 हैं । इस प्रकार मृतक पर आश्रितों की संख्या **कुल–04** थी। अतः आश्रितों की संख्या 04 से 06 होने पर मृतक की वार्षिक आय में 1/4 भाग की कटौती की जायेगी। इस प्रकार कुल वार्षिक आय

1,55,700/– रु. में 1/4 भाग कटौती किये जाने पर मृतक की वार्षिक आय **1,55,700–38,925= 1,16,775/–**रू. निर्धारित होती है।

22. **मृतक की आयु घटना के समय लगभग 40 वर्ष था ।** अतः न्याय दृष्टान्त **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वि. प्रणय सेठी और अन्य ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157** माननीय उच्चतम न्यायालय की कान्सटीट्यूशन बैंच द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट विधि अनुसार **36–40** की उम्र के व्यक्तियों के लिये **15 का गुणांक** प्रयुक्त किये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अतः प्रकरण में 15 का गुणांक प्रयुक्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण की आश्रितता की कुल हानि– **1,16,775×15 = 17,51,625/–** रूपये **(सत्तरह लाख इंकावन छः सौ पच्चीस रुपये)** अनुमानित की जाती है।

23. अग्रेत्तर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कं पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेट्ठी एवं अन्य , (2017) 16 एस . सी . सी . 680** के मामले में Conventional Heads पर विचार करते हुए अपने निर्णय की कंड़िका 52 में यह अवारित किया गया है कि –

> *52.....The conventional and traditional heads, needless to say, cannot be determined on percentage basis because that would not be an acceptable criterion. Unlike determination of income, the said heads have to be quantified. Any quantification must have a reasonable foundation. There can be no dispute over the fact that price index, fall in bank interest, escalation of rates in many a field have to be noticed. The court cannot remain oblivious to the same There has been a*

thumb rule in this aspect. Otherwise, there will be extreme difficulty in determination of the same and unless the thumb rule is applied, there will be immense variation lacking any kind of consistency as a 11 दावा प्रकरण क्रमांक-1561/2023 consequence of which, the orders passed by the tribunals and courts are likely to be unguided. Therefore, we think it seemly to fix reasonable sums. It seems to us that reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs 15,000, Rs.40,000 and Rs.15,000 respectively. The principle of revisiting the said heads is an acceptable principle. But the revisit should not be fact-centric or quantumcentric. We think that it would be condign that the amount that we have quantified should be enhanced on percentage basis in every three years and the enhancement should be at the rate of 10% in a span of three years. We are disposed to hold so because that will bring in consistency in respect of those heads."

24. अन्य न्याय दृष्टांत में माननीय शीर्ष न्यायालय के तीन न्यायमूर्ति की बेंच ने United India Insurance Co. Ltd. vs. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur and Ors. (2021) 11 SCC 780 के मामले में Pranay Sethi

<u>(Supra)</u> पर विचार करते हुए consortium heads के संबंध में यह अवधारित किया था कि– ***The compensation under these heads also needs to be increased by 10%. Thus, the spousal consortium is awarded at Rs.44,000/ –(Forty–four thousand only), and towards parental consortium at the rate of Rs.44,000/– each (Total Rs.1,32,000/–) is awarded to the three children.*** इसी प्रकार से माननीय शीर्ष न्यायालय ने **<u>CIVIL APPEAL NO. 009014 OF 2022 SMT. ANJALI & ORS. VS. LOKENDRA RATHOD & ORS. Judgement Dated 06.12.2022</u>** के मामले में प्रणय सेठी (उपरोक्त) में दिये गये दिशा–निर्देश अनुसार <u>प्रत्येक तीन वर्ष में consortium heads में **10% वृद्धि**</u> किये जाने का आदेश दिया गया है। जिस अनुसार निर्णय दिनांक 31.10.2017 से अब तक तीन–तीन वर्ष की वृद्धि हो चुकी है जिसके अनुसार प्रति तीन वर्ष में 10% वृद्धि के अनुसार वर्तमान मामले में उक्त न्याय दृष्टांतों के आलोक में, आवेदकगण को **18,150/– रुपये,** अन्य मद संपदा की हानि के संबंध में **18,150/– रुपये** दिलाया जाना उचित पाया जाता है।

25. **माननीय न्याय दृष्टांत Magma General Insurance Co. Ltd. Vs Nanu Ram 2018 SCC Online 1546** में माननीय शीर्ष न्यायालय ने साहचर्य को परिभाषित करते हुए, यह अवधारित किया गया है कि मृतक के प्रत्येक आश्रितों को साहचर्य की राशि प्रदान किया जाना जाना चाहिये तथा साहचर्य की हानि के मद में दी जाने वाली राशि न्यायदृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार से माननीय शीर्ष न्यायालय ने **<u>CIVIL APPEAL NO. 009014 OF 2022 SMT. ANJALI & ORS. VS. LOKENDRA RATHOD & ORS. Judgement Dated 06.12.2022</u>** के मामले में प्रणय सेठी (उपरोक्त) में दिये गये दिशा–निर्देश अनुसार <u>प्रत्येक तीन वर्ष में</u>

consortium heads में **10% वृद्धि** किये जाने का आदेश दिया गया है। जिस अनुसार निर्णय दिनांक 31.10.2017 से अब तक तीन-तीन वर्ष की वृद्धि हो चुकी है जिसके अनुसार प्रति तीन वर्ष में 10% वृद्धि के अनुसार वर्तमान मामले में उक्त न्याय दृष्टांतों के आलोक में, इस भांति न्याय दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में आवेदकगण को सहचर्य/प्रेम एवं स्नेह/वियोग आदि से वंचित होने के मद में 48,400-48,400/- रुपये अर्थात (48,400 X 4 आश्रित) कुल **1,93,600/-** रुपये दिलाया जाना उचित पाया जाता है ।

26. अतः उपरोक्त वर्णित क्षतिपूर्ति निम्न तालिका अनुसार संगणित और निर्धारित की जाती है:-

Sr. No.	**देय मद**	**राशि -**
1.	मृतक की वार्षिक आय (**10,380 x 12= 1,24,560**)	**1,24,560**
2.	मृतक की आय में भविष्य में वृद्धि **25%** (**1,24,560+ 31,140 = 1,55,700**)	**1,55,700**
3.	मृतक की निजी व्यय में 1/4 भाग कटौती (**1,55,700–38,925 = 1,16,775**)	**1,16,775**
4.	उक्त राशि पर 15 का गुणांक लागू किये जाने पर आश्रितता राशि (**1,16,775 x 15**)	**17,51,625**
5.	अन्त्येष्ठि व्यय के मद में	**18,150**
6.	संपदा की हानि के मद में	**18,150**
7.	सहचर्य/प्रेम एवं स्नेह/वियोग आदि की हानि के मद में 48,400/- रुपये अर्थात (48,400x4 आश्रित)	**1,93,600**
	कुल योग (स०क्रं० 4+ 5+ 6+ 7)	**19,81,525/-**
अक्षरी- उन्नीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ पच्चीस रूपये		

27. इस प्रकार आवेदकगण के पक्ष में कुल राशि **19,81,525/- रु. (उन्नीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ पच्चीस रूपये)** की क्षतिपूर्ति स्वीकृत की जाती है। चूंकि प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्र 01 द्वारा चलाया जा रहा था जो अनावेदक क्र. 02 के स्वामित्व की थी और अनावेदक क्र. 03 के पास विधिवत् बीमित कराया गया था, इसलिए आवेदकगण, अनावेदकगण से उक्त क्षतिपूर्ति की राशि संयुक्त एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी है, **किंतु वाहन के बीमित होने के कारण प्रथम दृष्ट्या क्षतिपूर्ति राशि अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी से पाने के अधिकारी होना निष्कर्षित किया गया है, अतः वाद प्रश्न क्रमांक-04 का निष्कर्ष- ''आवेदकगण, अनावेदक बीमा कम्पनी से कुल क्षतिपूर्ति की राशि 19,81,525/- रु. (उन्नीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ पच्चीस रूपये) संविदात्मक दायित्व होने के कारण प्राप्त करने के अधिकारी हैं'' में दिया जाता है।**

वाद प्रश्न क्रमांक- 05 (सहायता एवं व्यय) -

28. प्रकरण में यह सिद्ध हो चुका है कि आवेदकगण, अनावेदक बीमा कम्पनी से कुल राशि **19,81,525/- रु. (उन्नीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ पच्चीस रूपये)** की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्न एवार्ड पारित किया जाता हैः-

(1) अनावेदकगण, आवेदकगण को कुल राशि- **19,81,525/- रु. (उन्नीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ पच्चीस रूपये)** संयुक्ततः एवं पृथकतः अदा करने के लिये उत्तरदायी हैं। यदि आवेदकगण को इस प्रकरण में अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी है तो उक्त राशि कुल प्रतिकर की राशि में समायोजित किया जावे । उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का प्रथम उत्तरदायित्व **अनावेदक क्र० 01 बीमा कंपनी** का है ।

(2) **'एस पेरूमल विरूद्ध के0 अंबिका वगैरह में माननीय उच्चतम**

न्यायालय, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शालू शर्मा एवं अन्य 2018 (2) एस0सी0सी0डी0 610 (एस0सी0) एवं सालिकराम पटेल वगैरह विरूद्ध फनीन्द्र पटेल वगैरह में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा 09% वार्षिक ब्याज प्रदान किया जाना अवधारित किया गया है। माननीय न्याय दृष्टांतों के आलोक में आवेदकगण उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से रकम अदायगी दिनांक तक 09% प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(3) संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि में से मृतक की पत्नी आवेदिका क्र 01 को 50 प्रतिशत की राशि, मृतक के अवयस्क पुत्री एवं पुत्र क्रमशः आवेदक क्र 02 एवं 03 को 20-20 प्रतिशत एवं मृतक के पिता आवेदक क्र० 04 को 10 प्रतिशत की राशि प्राप्ति हेतु अधिकृत होंगे।

(4) आवेदिका क्रमांक 01 को प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि में से 60 प्रतिशत की राशि ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके खाते में नगद प्रदान की जायेगी तथा 40 प्रतिशत की राशि उनके नाम से तीन वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा किया जावेगा। आवेदक क्र 02 एवं 03 को पृथक-पृथक प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि उनके नाम से किसी बैंक में उसकी व्यस्कता प्राप्ति की अवधि के लिये सावधि खाते में जमा किया जावेगा। आवेदक क्र 04 को प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके खाते में नगद प्रदान किया जाएगा । सावधि जमा राशि पर आवेदकगण प्रत्येक माह ब्याज की राशि प्राप्् कर सकेंगे तथा उक्त सावधि जमा में किसी भी प्रकार की अग्रिम या

लोन की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकेंगे एवं परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर संपूर्ण राशि वे स्वयं प्राप्त कर सकेंगे।

(5) अनावेदकगण/अनावेदक क्र 03 द्वारा उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति की राशि अधिनिर्णय दिनांक के 30 दिवस के भीतर अधिकरण के खाता में जमा किया जावेगा ।

(6) आवेदकगण सावधि खाते में जमा राशि से प्राप्त होने वाली ब्याज को समय– समय–पर प्राप्त करने की अधिकारी रहेगें ।

(7) अनावेदक क्रमांक–03 अपने साथ–साथ आवेदकगण का व्यय भी वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या जो कम हो वह देय होगी।

"तदनुसार व्यय तालिका निर्मित किया जावे"

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया।

बिलासपुर
दिनांक – 12/08/2026

मेरे निर्देश पर टंकित।

VIJENDRA SONWANI Digitally signed by VIJENDRA SONWANI

(विजेन्द्र सोनवानी)
एकादश अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)

-:व्यय तालिकाः-

क्र	विवरण	आवेदकगण	अनावेदक 01 एवं 02	अनावेदक क्रमांक 03
1	दावा आवेदन	15.00		
2	वकालतनामा	30.00	30.00	30.00
3	आवेदन व्यय	500	-	-
4	अधिवक्ता शुल्क	1000	-	-
5	विविध पत्र/शपथ पत्र	6	-	5
6	प्रोसेस	-	-	-
योग		**1551.00**	**30.00**	**35.00**

VIJENDRA SONWANI Digitally signed by VIJENDRA SONWANI

(विजेन्द्र सोनवानी)
एकादश अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)